हवाई यात्रियों की नहीं लगेगी लंबी कतार

देश के प्रमुख हवाईअड्डों पर वाणिज्यिक क्षेत्र कम किया जाएगा और सुरक्षा जांच का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा

दीपक पटेल

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने सोमवार को कहा कि भारत में हवाईअड्डों पर वाणिज्यिक क्षेत्र को कम किया जा रहा है ताकि भीड़भाड़ से बचने और यात्रियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए उन्हें तेजी से अंदर भेजने के लिए सुरक्षा जांच के क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। 'विमानन सुरक्षा संस्कृति' विषय पर एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, 'कुछ हवाईअड्डों पर कई दुकानें और आउटलेट खुलने से सुरक्षा क्षेत्र का अतिक्रमण हो रहा है। हमने इस अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी किए हैं।'

पिछले साल दिसंबर में दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख हवाईअड्डों पर बेहद व्यस्त यात्रा सीजन के दौरान बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हस्तक्षेप किया और हवाईअड्डों को यात्रियों के आगमन और उनके प्रस्थान को फिर से व्यवस्थित करने के लिए कहा।

भारत के विमानन सुरक्षा नियामक के प्रमुख ने कहा, 'दिसंबर में जो हुआ उसकी वजह सुरक्षा चेकप्वाइंट की क्षमता, यात्रियों की बड़ी संख्या के मुकाबले काफी कम थी। इसके अलावा, सर्दियों में लोग अधिक ट्रे का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लोग उन दिनों गर्म कपड़े पहनते हैं। ऐसे में इसका समाधान यह था कि हमें अधिक सुरक्षा लाइनें बनानी चाहिए, अधिक मशीनें लगानी चाहिए और जांच के लिए ज्यादा लोग तैनात किए जाने चाहिए।'

बीसीएएस का कहना है कि सुरक्षा चौकियों के लिए जितनी भी जगह की जरूरत है, उसे हवाईअड्डा परिचालक द्वारा उपलब्ध कराया जाए। हसन ने कहा, 'बाकी बची हुई जगह जो हवाईअड्डा परिचालक के पास है, उसका इस्तेमाल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाए, वह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हमारी चिंता यह है कि सुरक्षा चौकियों के लिए पर्याप्त क्षेत्र होना चाहिए। ट्रैफिक बढ़ने पर हवाईअड्डा संचालकों को उसी हिसाब से सुरक्षा क्षेत्र बढ़ाना होगा। आपको इसके लिए जगह देनी होगी। बाकी चीजें (वाणिज्यिक क्षेत्र आदि की) बाद में होंगी।'सुरक्षा चौकियों में उस घंटे के लिए उड़ानों की संख्या के समान क्षमता होनी चाहिए अन्यथा सुरक्षा के काम में बाधा आएगी। उन्होंने कहा, 'सुरक्षाकर्मियों को तेजी से जांच करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता क्योंकि इसमें समय लगेगा।'

हवाई यात्रा के दौरान रोजाना यात्रियों के पास से 25 हजार प्रतिबंधित सामान मिलते हैं

हैंड बैग से मिले सामान		चेक इन बैग से मिले	
सामान	मिले*	सामान	मिले*
लाइटर	26	पावर बैंक	44
कैंची	22	लाइटर	19
चाकू	16	बैटरी	18
तरल	14	लैपटॉप	11

* हैंड बैग में मिले सामान का प्रतिशत

* चेक इन बैग में मिले सामान का प्रतिशत

दिल्ली इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, बेंगलूरु इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जीएमआर हैदराबाद इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अदाणी समूह और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) जैसे हवाईअड्डा परिचालकों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया।

हसन ने कहा कि इस साल के त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की आवाजाही काफी बेहतर होगी। उन्होंने कहा, 'हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वाणिज्यिक क्षेत्र को कम किया जाना चाहिए और सुरक्षा क्षेत्र बढ़ाया जाए। हमें हवाईअड्डों के विस्तार के समय आवश्यक संख्या में सुरक्षा चौकियां सुनिश्चित करना चाहिए। इस प्राथमिकता को सभी ने स्वीकार किया है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस विषय पर हर सोमवार को एक बैठक कर रहे हैं ताकि यात्रियों की आवाजाही की प्रक्रिया तेज गति से संचालित की जा सके और इसकी निगरानी हो।

बीसीएएस ने इस महीने की शुरुआत में प्रमुख भारतीय हवाईअड्डों पर फुल बॉडी स्कैनर का उपयोग करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दी थी।

हसन ने कहा, 'फुल बॉडी स्कैनर बहुत जरूरी हैं क्योंकि इससे हवाईअड्डों की सुरक्षा में सुधार होता है। यह मौजूदा प्रणालियों की तुलना में निषिद्ध सामान का पता थोड़ा बेहतर तरीके से लगा सकता है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कुछ हवाईअड्डे ने इसके लिए आदेश दे दिए हैं। अगले 1-1.5 वर्षों में, इसे देश के प्रमुख हवाईअड्डों पर लागू किया जाएगा।' उन्होंने कहा कि बीसीएएस की अभी तक इस समयसीमा को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है हालांकि इस बीच में खरीद से संबंधित कुछ मुद्दे हैं।

उन्होंने कहा, 'निजी हवाईअड्डों के साथ-साथ एएआई भी इस आदेश पर सहमत है। अचानक हर कोई दुनिया के उन्हीं दो-तीन विक्रेताओं से इन उपकरणों की खरीद कर रहा है। ऐसे में खरीद से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। समय-सीमा का ध्यान है लेकिन खरीद से संबंधित मुद्दे बरकरार हैं और हम उसका ही समाधान कर रहे हैं।'

'मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अपराध भयावह'

उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने के वीडियो को सोमवार को 'भयावह' करार दिया और दर्ज प्राथमिकियों के सिलसिले में अब तक हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी। अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती कि राज्य की पुलिस मामले की जांच करे क्योंकि उन्होंने महिलाओं को वस्तुतः दंगाई भीड़ को सौंप दिया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह हिंसाग्रस्त राज्य में स्थिति की निगरानी के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) या पूर्व न्यायाधीशों वाली एक समिति का गठन कर सकती है। हालांकि यह मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र और मणिपुर की ओर से पेश विधि अधिकारियों की दलीलों पर निर्भर करेगा। पीठ ने मणिपुर हिंसा से संबंधित विभिन्न याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंगलवार को सूचीबद्ध किया है। अदालत ने कहा कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके उन्हें घुमाने का यह वीडियो 4 मई को सामने आया था, ऐसे में मणिपुर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में 14 दिन का समय क्यों लगा और 18 मई को मामला दर्ज किया गया।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के पीठ ने कहा, 'पुलिस क्या कर रही थी? वीडियो मामले से संबंधित प्राथमिकी दर्ज होने के एक महीने और तीन दिन बीतने के बाद 24 जून को मजिस्ट्रेट अदालत को क्यों भेजी गई?' पीठ ने कहा, 'यह भयावह है। मीडिया में खबरें आई हैं कि पुलिस ने इन महिलाओं को दंगाई भीड़ के हवाले कर दिया था। हम नहीं चाहते कि पुलिस इस मामले को संभाले।' जब अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सवालों का जवाब देने के लिए समय मांगा, तो पीठ ने कहा कि उसके पास समय की कमी है और राज्य को उन लोगों को राहत प्रदान करने की 'बहुत जरूरत' है जिन्होंने अपने प्रियजनों और घरों समेत सब कुछ खो दिया है। पीठ ने राज्य सरकार से जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में दर्ज 'जीरो एफआईआर' की संख्या और अब तक हुई गिरफ्तारियों के बारे में विवरण देने को कहा। 'जीरो एफआईआर' किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में हुआ हो या नहीं। पीठ ने कहा, 'हम यह भी जानना चाहते हैं कि राज्य में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए क्या पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है।' इससे पहले दिन में, केंद्र की ओर से पेश सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि यदि शीर्ष अदालत मणिपुर हिंसा के मामले में जांच की निगरानी करती है तो केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्लोबल मैतेई फाउंडेशन के वकील

आखिरी दिन हुए 26.74 लाख रिटर्न दाखिल

देश में 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए सोमवार शाम चार बजे तक 6.39 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए। सोमवार को 26.74 लाख आईटीआर दाखिल किए गए। पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर खाते पर यह जानकारी दी।

विभाग ने ट्विटर पर लिखा, 'कल 30 जुलाई 2023 तक 6.13 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। आज 31 जुलाई शाम चार बजे तक 26.74 लाख और आईटीआर दाखिल किए गए।' आईटीआर दाखिल करने में मदद के लिए आयकर विभाग की हेल्पडेस्क और वेबसाइट पर चौबीसों घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर जमा करने की अंतिम तारीख सोमवार यानी 31 जुलाई 2023 है।

कर विशेषज्ञों का कहना है कि आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या में इजाफा नियमों के बेहतर अनुपालन और कर चोरी को रोकने के लिए राजस्व विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। आयकर विभाग सूचना प्रौद्योगिकी तथा डेटा विश्लेषण उपकरणों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल कर ऐसे मामलों का पता लगा रहा है जहां गड़बड़ी की अधिक आशंका है और ऐसे मामलों में कार्रवाई भी कर रहा है। जिन कंपनियों और लोगों के लिए अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 20.33 प्रतिशत बढ़कर 19.68 लाख करोड़ रुपये रहा। **भाषा**

आईटीआर जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तक ही थी

ईडी ने लालू के परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि कथित 'जमीन के बदले रेलवे में नौकरी' घोटाले में धनशोधन की जांच के तहत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार-उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और संबंधित कंपनियों की 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने एक बयान में बताया कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पटना, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में छह अचल संपत्तियों और दक्षिण दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में डी-1088 स्थित चार मंजिला बंगले को कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।

कुर्क की गई संपत्तियों में पटना के महुआबाग (दानापुर) स्थित दो भूखंड, जिनमें से एक का स्वामित्व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और दूसरे का मालिकाना हक 'ए के इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड' (एक कंपनी जिसे प्रसाद के परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है) के पास तथा पटना के बिहटा इलाके में राजद प्रमुख की सांसद बेटी मीसा भारती का एक भूखंड शामिल है।

इसके अलावा, गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित दो औद्योगिक भूखंडों (यादव की बेटी हेमा यादव के पति और ससुर क्रमशः विनीत यादव और शिव कुमार यादव के नाम पर पंजीकृत एक-एक भूखंड) का एक हिस्सा भी कुर्क किया गया है।

ईडी ने कहा कि 'ए बी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' प्रसाद के बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और चंदा यादव (राजद प्रमुख की बेटी) के स्वामित्व वाली एक 'कागजी' कंपनी है और इसका पंजीकृत पता न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र स्थित बंगला है।

ईडी ने कहा कि इन सभी संपत्तियों का संयुक्त रूप से मूल्य 6.02 करोड़ रुपये है। ईडी का मामला पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और अन्य के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी पर आधारित है।

यह आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2004-09 की अवधि में भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में कई लोगों को ग्रुप-डी के पदों पर नियुक्त किया गया, जिसके बदले उनसे लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के नाम उनकी जमीन हस्तांतरित कराई गई। **भाषा**

लालू प्रसाद, राजद सुप्रीमो

संसद में मणिपुर मुद्दे पर गतिरोध बरकरार

मणिपुर मुद्दे पर संसद में सोमवार को भी गतिरोध कायम रहा तथा विपक्ष ने इस विषय पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग को लेकर भारी हंगामा और नारेबाजी की जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन और राज्यसभा चार बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच ही चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023 सहित तीन विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा कराने का प्रयास किया। किंतु विपक्षी सदस्यों द्वारा पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और फिर कार्यस्थगन के प्रावधान वाले नियम 267 के तहत चर्चा कराये जाने की मांग पर अड़े रहने के कारण यह शुरू नहीं हो सकी। सभापति धनखड़ ने उच्च सदन में यह घोषणा की कि वह मौजूदा गतिरोध को दूर करने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं के साथ दोपहर 2 बजकर 45 मिनट पर बैठक करेंगे। किंतु यह बैठक बेनतीजा रही क्योंकि इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही।

लोकसभा में बैठक शुरू होने पर प्रश्नकाल शुरू कराया गया, उसी समय विपक्षी सदस्य मणिपुर मुद्दे पर जल्द चर्चा कराने और प्रधानमंत्री मोदी के जवाब की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। हाथों में तख्तियां लिए हुए कई विपक्षी सांसद आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी बंद करने और सदन चलने देने की अपील की। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही करीब सवा 11 बजे अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर हंगामे एवं नारेबाजी के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद 'चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023' को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। राज्यसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। इसके साथ ही निचले सदन ने 'संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022' और 'संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022' को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा पूर्व में इन दोनों विधेयकों को पारित कर चुकी थी। **भाषा**

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़

जी-20 : कुछ विवादास्पद मुद्दों पर आम सहमति नहीं

यूक्रेन के मुद्दे पर अलग-अलग रुख की वजह से जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले संयुक्त बयान के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश में जुटे भारतीय राजनयिकों के सामने बड़ी चुनौती पैदा हो गई है

असित रंजन मिश्र

हम्पी में विरुपक्ष मंदिर के दौरे के दौरान गाइड ने जी-20 देशों के प्रतिनिधियों को इस मंदिर के प्रवेश द्वार के पास मौजूद पवित्र पत्थर के पास कोई मन्नत मांगने के लिए प्रेरित किया ताकि अगर वार्ता के मौजूदा चरण के दौरान कोई बाधा आ रही हो तो वह दूर हो जाए। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने जवाब दिया, 'बहुत सारी बाधाएं हैं।' यह सुनकर सभी हंस पड़े। जैसे ही मुख्य वार्ताकारों या शेरपाओं ने हम्पी में संयुक्त बयान के मसौदे पर चर्चा शुरू की वैसे ही भारत की जी-20 अध्यक्षता का दौर अपने सबसे महत्त्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गई। जुलाई की शुरुआत में पहले मसौदे की विज्ञप्ति सदस्यों में वितरित की गई थी जिसके आधार पर कर्नाटक के इस बेहद सुंदर वैश्विक धरोहर स्थल पर 17 घंटे तक मिल-जुल कर मसौदा तैयार करने के बेहद थकाऊ सत्र आयोजित किए गए थे।

भारत ने सदस्यों द्वारा की गई बदलाव की पेशकश को इस मसौदे में शामिल किए जाने के बाद जुलाई के अंत से पहले एक दूसरा मसौदा भेजने की योजना बनाई है। शेरपा सितंबर की शुरुआत में हरियाणा के मानेसर में आखिरी बार मिलेंगे। इसके बाद नेता 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में इकट्ठा होंगे जहां संयुक्त बयान को मंजूरी दी जा सकती है या उसे अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में जी-20 की बैठक में एक संयुक्त बयान जारी करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा का रूस सहित सभी सदस्यों ने समर्थन किया कि 'आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए'। अब, रूस का मानना है कि स्थिति बाली शिखर सम्मेलन के दौरान की तुलना में बदल गई है, जिसमें विकसित अर्थव्यवस्थाओं के जी-7 देशों के समूह ने यूक्रेन को हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति करके संघर्ष में खुद को शामिल किया था।

दूसरी ओर, जी-7 देश यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की कड़ी निंदा चाहते हैं, लेकिन बाली भाषा के लिए समझौता करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा, 'बाली (भाषा) को शुरुआती बिंदु बनाने की जरूरत है। अमेरिका के रुख से वाकिफ जी-20 के एक प्रतिनिधि ने कहा, 'बाली (भाषा) में कुछ तत्त्व जैसे कि परमाणु अस्वीकार्यता पर बयान महत्त्वपूर्ण हैं।'

वहीं दूसरी ओर, चीन ने हाल ही में गांधीनगर में संपन्न हुई फाइनैंस ट्रैक बैठक में कहा कि जी-20 'भू-राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सही मंच नहीं है'।

भारत बेहद सावधानीपूर्वक और कुशलता से इस रास्ते पर चल रहा है। यह मंत्री स्तर के संयुक्त बयान पर जोर नहीं दे रहा है बल्कि यह अध्यक्ष के तौर पर संक्षिप्त ब्योरे से समझौता करने के लिए तैयार है ताकि ऐसी स्थिति से बचा जा सके जहां भारत की जी-20 अध्यक्षता पर रूस-यूक्रेन युद्ध विवाद हावी हो जाए।

हम्पी में, भारत ने समूह स्तर पर यूक्रेन युद्ध पर चर्चा से परहेज किया जबकि द्विपक्षीय और अन्य अनौपचारिक 'वार्ता' के माध्यम से प्रत्येक देश के रुख का अंदाजा लगाने की कोशिश की।

कांत ने हम्पी में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, 'रूस-यूक्रेन युद्ध हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता विकास के मुद्दे हैं। यही कारण है कि हम इस पर अंत में चर्चा करेंगे।'

सार्वजनिक रूप से, भारतीय राजनयिक सख्त मुद्रा बनाए रखते हैं। हालांकि निजी तौर पर वे आम सहमति बनाने के बारे में चिंतित रहते हैं। अगर जी 20 सदस्य रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर एक आम संदेश देने को लेकर सहमति बनाने में असफल रहते हैं तब वर्ष 2008 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब किसी जी-20 के शीर्ष नेताओं के शिखर सम्मेलन में संयुक्त बयान नहीं दिए जाएंगे। भारत ने जी-20 की अध्यक्षता को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है और इसे बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, ऐसे में उसे इस तरह के परिणाम पसंद नहीं आएंगे। हालांकि जी-20 में एक 'संयुक्त विज्ञप्ति' द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों के विपरीत कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है लेकिन यह सभी सदस्यों द्वारा सहमत सामान्य न्यूनतम एजेंडे का प्रतिनिधित्व करता है और अक्सर भविष्य के बहुपक्षीय समझौतों की दिशा भी तय करता है।

वहीं दूसरी ओर, अध्यक्षता कर रहा देश चर्चाओं को संक्षेप में पेश करता है, जिसमें किए गए प्रमुख निर्णयों पर जोर दिया जाता है लेकिन कुछ विवादास्पद मुद्दों पर आम सहमति नहीं होने के संकेत मिलते हैं। अध्यक्षता कर रहे देश का बयान, शिखर सम्मेलन का सबसे कमजोर दस्तावेज है और यह अध्यक्ष देश के निजी विचारों को दर्शाता है और यह चर्चाओं को सारांश में पेश करने का दावा नहीं कर सकता है। एक भारतीय जी-20 राजनयिक ने कहा, 'संयुक्त बयान को लेकर काफी उम्मीदें हैं। मैं इसे पूरे दावे के साथ कहूंगा। इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए जमीन तैयार करने की जरूरत है। हम समझते हैं कि अगर हम यूक्रेन युद्ध का कोई संदर्भ नहीं देते हैं तब कोई परिणाम नहीं हो सकता है।'

हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि अंतिम समय में चीजें नाटकीय रूप से बदल सकती हैं। पिछले साल जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए नेताओं के बाली पहुंचने के बाद, एक मिसाइल ने पोलैंड को निशाना बनाया और संदेह था कि यह मिसाइल रूस से छोड़ी गई है। जी-7 देशों ने चर्चा के लिए बैठक की। लेकिन जब यह बात सामने आई कि मिसाइल रूस से नहीं छोड़ी गई है तब शांतिपूर्ण स्थिति बनी। अधिकारी ने कहा, 'अगर मिसाइल रूस से आई होती तो बाली में संयुक्त आधिकारिक विज्ञप्ति भी नहीं दी जाती।'

हालांकि रूस-यूक्रेन युद्ध पर आम सहमति से जुड़े संदेश के लिए एक स्पष्ट रास्ता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भारतीय राजनयिकों ने आम सहमति बनाने के लिए लगभग आधा दर्जन विकल्प तैयार किए हैं। पिछली घोषणाएं संदर्भ बिंदु के रूप में काम कर सकती हैं। मई में जी-7 के शिखर सम्मेलन में रूस का 23 बार जिक्र किया गया है और यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की कड़ी निंदा की गई है। हालांकि, जी-7 बैठक से इतर क्वाड शिखर सम्मेलन में बहुत नरम भाषा इस्तेमाल करने पर सहमति बनी क्योंकि भारत इसमें एक सदस्य है।

प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका के संयुक्त बयान में रूस शब्द का उल्लेख नहीं है। एक दूसरे भारतीय राजनयिक ने कहा, 'हम सुलह की पूरी गुंजाइश देखते हैं। जब यह वास्तव में महत्त्वपूर्ण हो जाता है तब आधिकारिक विज्ञप्ति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। आधिकारिक संयुक्त बयान में रूस-यूक्रेन युद्ध पर विचारों की विविधता के साथ-साथ एक समावेशी पैराग्राफ की जरूरत है। हम आधिकारिक संयुक्त बयान के माध्यम से हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। पहले भारतीय राजनयिक ने चुटकी लेते हुए कहा, 'यह विचार सभी को समान रूप से नाखुश करने के लिए है।'

आज़ादी का अमृत महोत्सव

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

www.bankofbaroda.in

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सुविधा प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय बैंक के स्वामित्व वाले परिसर सूरज प्लाजा-1, वडोदरा, गुजरात के लिए सुविधा प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित विक्रेता/सेवा प्रदाता से दो बोली प्रणाली में मुहरबंद निविदा आमंत्रित करता है।

"परिशिष्ट", यदि कोई हो, तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड में अधिसूचित किया जाएगा। बोलीकर्ता अंतिम रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले इसे अवश्य देख लें।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 21/08/2023 1500 बजे तक।

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.bankofbaroda.in/tenders/corporate-office पर जाएं

सहायक महाप्रबंधक
(सु. प्र एवं सुरक्षा)
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा

स्थान: बड़ौदा
दिनांक: 01.08.2023

67/23-24